न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2022

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र रामनाथ
2. हनुमान पुत्र मु0 रामनाथ

समस्त जातियान गुर्जर निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

बनाम

1 कमली देवी पुत्री बालूराम
2. कैलाश पुत्र बालूराम
3. घीसाराम पुत्र हरदेव
4. प्रेमारानी पुत्री हरदेव
5. मुरली देवी पत्नी बालूराम
6. रूडाराम पुत्र हरदेव
7. रामजीलाल पुत्र बालूराम
8. साधुराम पुत्र हरदेव

समस्त जातियान यादव निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

9. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर जिला जयपुर
10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
11. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
13. उपतहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर जिला जयुपर राज0

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक –28.06.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आ0,ख0नं0 388/1/0.2750 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसका प्रार्थी सं0 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा आराजी ख.न. 380/0.17, 388/0.2750 है0 कुल किता–2 रकबा 0.4450 है. वाकै ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसका प्रार्थी सं0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

यह कि हाल आराजी ख.न. 379/0.14, 386/0.71 है0 कुल किता–2 रकबा 0.85 है. वाकै ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जो गैर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण आपस में सगे भाई है जिनकी आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के ख. न. 386 के उत्तर दिशा में लगती भूमि है तथा खसरा नं0 380 खसरा नं0 379 के पूर्व दिशा में लगती सीमा है जिनमें आने जाने का कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि खसरा नं0 399/0.38 है0, 381/0.05 सरकारी भूमि होकर गैर मु0 आबादी की भूमि है जो खसरा नं0 399 में पूर्व पश्चिम लंबाई में ग्राम पंचायत की सीसी सडक मौके पर चालू है तथा उक्त सडक के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जोत अवस्थित है। यह कि प्रार्थीगण की जात तक जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जबकि प्रार्थीगण की जोत से पहले अप्रार्थीगण की भूमि ख0 न0 386 व 379 पडती है जिसमें प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यन्तिक आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थीगण 2 प्रस्ताव रास्ता हेतु प्रस्तावित करते है कि–

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रस्ताव संख्या–1 यह कि ख0न0 399 मुख्य सीसी सडक के उत्तर दिशा में अवस्थित अप्रार्थीगण के ख0 न0 386/0.71 है0 की पूर्वी सीमा से खसरा नं0 388/1/0.2750 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी तक यानी ख0 न0 388/1 की पूर्वी उत्तरी सीमा तक 4 मीटर चौडाई व लंबाई अनुमानित 60 मीटर तक व ख0 न0 379/0.14 है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तरी सीमा से सहारे 4 मीटर चौडाई व लंबाई अनुमानित 40 मीटर ख0 न0 380/0.17 है0 की उत्तरी पश्चिमी कोण तक रास्ता की आवश्यकता है।

प्रस्ताव संख्या– 2 यह कि ख0 न0 399 मुख्य सीसी सडक से उत्तर दिशा में अवस्थित अप्रार्थीगण के ख0 नं0 386/0.71 है0 की पूर्वी सीमा से ख0 न0 388/1/0.2750 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी तक यानी ख0 न0 388/1 की पूर्वी उत्तर कोण तक 4 मीटर चौडाई व लंबाई अनुमानित 80 मीटर ख0 न0 381/0.05 है0 गै0मु0 आबादी भूमि तक रास्ते की आवश्यकता है तथा ख0न0 381/0.05 है0 गै0मु0 आबादी में रास्ता है जो ख0 न0 380/0.11 है0 प्रार्थीगण की भूमि तक जाता है।

अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा प्रस्ताव सं0 1 अन्यथा में प्रस्ताव सं0 2 में प्रस्तावित अनुसार प्रार्थीगण की जोत ख0 न0 388/1/0.2750, 380/0.17 है0 में पहूच हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0 न0 386/0.71, 379/0.14 है0 में से नवीन रास्ता दिया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 2 से 4 व 5 से 8 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया । शेष के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा0 पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश रास्ता संबंधी कानूनी प्रावधानो के पूर्ती नही करने से चलने योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त कि गयी जिस पर अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी ने पुनः रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया । प्रकरण को मंहगाई राहत कैम्प बिशनगढ में लोक उदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने हेतु रखा गया । प्रार्थी स्वयं उपस्थित आया जिसे ध्यानपूर्वक सुना गया । अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुच मार्ग हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। आराजी ख0 न0 386 व 379 में ही रास्ता प्रस्तावित किया है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है, तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आ0,ख0नं0 386 रकबा 0.71 है0 में से 57 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई रकबा 0.0228 है0, व ख0न0 379 रकबा 0.14 है0 में से 43 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई रकबा 0.0172 है0 कुल रकबा 0.04 है0 अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) [stamp: उपखण्ड अधिकारी ... राजस्थान]

(मनमोहन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर